



2026:AHC:128880

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 21429 सन् 2026

नरेश कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी पक्षगण

आवेदक के अधिवक्ता : अनुपम ललोरिया, सुशील चतुर्वेदी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह तात्कालिक जमानत आवेदन आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 158 सन् 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 125, 326(जी), 333, 324(4), 115(2), 351(2), 3(5) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) और दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7, थाना-सेक्टर 63, जनपद-गौतम बुद्ध नगर में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदक को वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आगे निवेदन किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण अनमोल, बसरत उर्फ एम.डी. बसरतुल्ला, राघवेन्द्र सिंह, ब्रजमोहन एवं शिवम शुक्ला को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा क्रमशः दिनांक 03.06.2026, 10.06.2026, 11.06.2026, 10.06.2026 एवं 10.06.2026 के आदेशों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19238 सन् 2026, 19286 सन् 2026, 19550 सन् 2026, 19373 सन् 2026 तथा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19292 सन्



2026 में जमानत प्रदान की गई है। जमानत आवेदन के अनुच्छेद संख्या 17 में आपराधिक पूर्ववृत्त को समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है और वह दिनांक 07.05.2026 से कारागार में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया; तथापि, वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण अनमोल, बसरत उर्फ एम.डी. बसरतुल्ला, राघवेन्द्र सिंह, ब्रजमोहन एवं शिवम शुक्ला को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा जमानत प्रदान की गई है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

6. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तगण अनमोल, बसरत उर्फ एम.डी. बसरतुल्ला, राघवेन्द्र सिंह, ब्रजमोहन एवं शिवम शुक्ला को इस न्यायालय की समन्वय पीठों द्वारा जमानत प्रदान की गई है और उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो अपास्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 07.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूं।

7. जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

8. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-**नरेश कुमार** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में विचारण न्यायालय को इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने की स्वतंत्रता होगी।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की दशा में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उन तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा, जो (1) वाद प्रारंभ किए जाने, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान अभिलिखित किए जाने हेतु नियत होंगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय को ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

9. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां साक्षियों की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

24 जून, 2026

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

ए.पी. पाण्डेय

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"